निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 19 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान (उत्तर), देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, (उत्तर), देहरादून** के माह 04/2016 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार मीणा, स॰ले॰प॰अ॰ (तदर्थ) द्वारा दिनांक 07.09.2020 से 11.09.2020 एवं 19.09.2020 से 23.09.2020 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-1</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक एवं श्रीमति हीना सलीम, वरिष्ट लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 03/08/2016 से 18/08/2016 तक श्री रणवीर सिंह,वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमे माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी । वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से माह 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल का संचालन एवं सीवर व्यवस्था सुचारू रूप से किये जाने तथा तत्संबंधी अनुश्रवण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत चार वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ अधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	2.11	76.26	507.60	505.60	4.11	221.44	239.02	58.68
2017-18	4.11	58.68	567.84	569.05	2.90	138.78	154.51	42.95
2018-19	2.90	39.98	661.92	664.25	0.57	256.21	174.48	121.71
2019-20	0.57	121.71	739.54	739.32	0.79	565.88	380.44	307.15

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः- (NRDWP)

(` लाख में)

वर्ष	प्रा अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	22.98	20.01	2.97
2018-19	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-

वर्ष 2017-18 मे NRDWP के अंतर्गत बचे अंतिम शेष रु 2.97 लाख को मुख्यालय प्रेषित कर दिया गया |

जिला योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रा अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष
2016-17	00	18.15	15.98	2.17
2017-18	2.17	8.00	5.90	4.27
2018-19	4.27	27.3	6.66	24.91
2019-20	24.91	10.68	28.14	7.45

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रा अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष
2016-17	76.26	203.29	223.04	56.51
2017-18	56.51	107.80	128.60	35.71
2018-19	35.71	228.91	167.82	96.80
2019-20	96.80	555.20	352.30	299.70

(अ) इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु केंद्रीय सहायता, राज्य अनुदान एवं **स्वयं के श्रोत से** किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ (सी) श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः-

सचिव, पेयजल विभाग
मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान
अधीक्षण अभियंता
अधिशासी अभियंता, जल संस्थान

(ब) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा जल संभरण की योजनाए बनाना, उनकी प्रोन्नति करना, जाँच के उपरांत शुद्ध पेयजल वितरण करना तथा सीवर व्यवस्था का शोधन एवं उन्नति द्वारा देहरादून जिले के रायपुर क्षेत्र को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जलसंस्थान, उत्तर देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2018 एवं 08/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य, जिला तथा डिपाजिट योजनाओ का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।
(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-1 UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशा निर्देशो की अवहेलना कर 36,197 घरेलू – अघरेलू संयोजन में मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना, एवं रु 25.38 लाख के water मीटर का निष्प्रयोज्य पड़ा रहना।

14th Finance Commission Report के Para No. 15.50 के Point No. 92 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था।

"States (urban and rural bodies) should progressively move towards 100 *per cent* metering of individual drinking water connections to households, commercial establishments as well as institutions. All existing individual connections in urban and rural areas should be metered by March 2017 and the cost of this should be borne by the consumers. All new connections should be given only when the functioning meters are installed"

इसके अतिरोक्त U.P. Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के अंतर्गत बिंदु संख्या 69 के अनुसार – "The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with water works of the Jal Sansthan" कहा गया है जबकि कार्यालय द्वारा मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अ-घरेलू संयोजन में विगत कई वर्षो से जलापूर्ति किये जा रहे है जो प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता , जल संस्थान (उत्तर) देहरादून द्वारा लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर प्रस्तुत सूचना (मार्च 2020 तक) से मीटर संयोजन से संबन्धित निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है –

संयोजन का प्रकार	कुल संख्या	मीटर सहित	मीटर विहीन
घरेलु (domestic)	34371	0	34371
अ-घरेलु (commercial)	1836	10	1826
कुल संयोजन	**36207**	**0**	**36197**

कार्यालय के वर्ष 2016-17,2017-18 एवं 2018-19, के बैलेन्स शीट की जांच मे पाया गया कि meter installed शीर्ष मे रु 2537897.40 के meter निष्प्रयोज्य पड़े हुए है, वर्ष 2019-20 की बैलेन्स शीट प्रस्तुत नहीं की गयी एवम मीटर संयोजन का कार्य नहीं किया गया है

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवम आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 2019-20 की बैलेन्स शीट unaudited है अतः प्रस्तुत नहीं की जा सकी, एवं विभिन्न आदेशों के द्वारा घरेलू जलापूर्ति बिना मीटर के किए जाने का निर्णय लिया गया है, एवं निर्धारित टैरिफ के अनुसार नगरीय क्षेत्रांतर्गत unmetered घरेलू उपभोक्ताओं के भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर तथा ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत totiyon के आधार पर देयक प्रेषित कर जलमूल्य आदि लिया जाता है | यद्यपि उत्तराखंड जल संस्थान जल संभरण एवम सीवर व्यवस्था अधिनियम 2008 मे सभी प्रकार की जलापूर्ति मीटर युक्त किए जाने कि व्यवस्था है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि **14th Finance Commission Report** मार्च 2017 मे स्पष्ट है कि शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना है एवं नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था चूंकि इकाई स्वायत संस्था है कार्यालय के व्यय भार प्राप्त राजस्व से होना है, मीटर संयोजन न किए जाने से राजस्व (जल कर) के वसूली की कमी से इंकार नहीं किया जा सकता, एवं विभाग द्वारा स्वयं कहा गया, उत्तराखंड जल संस्थान जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 2008 मे सभी प्रकार कि जलापूर्ति मीटर युक्त किए जाने कि व्यवस्था है, विभाग का उत्तर स्वयं मे विरोधाभासी प्रतीत होता है , एवं रु 25.38 लाख का मीटर स्टॉक मे विगत कई वर्षों से पड़ा हुआ है |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है |

भाग–2 ब

प्रस्तर–1 रू0 2.09 लाख लेबर सेस की कटौती न किया जाना ।

अधिसूचना दिनांक 23.11.2005 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में प्रचलित लेबर नियमों के तहत विभाग के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो की कुल लागत पर एक **प्रतिशत** की दर से लेबर सेस की कटौती किया जाना अनिवार्य है।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो की कुल लागत पर एक प्रतिशत लेबर सेस की कटौती नहीं की जा रही थी। आगे नमूना जांच में यह भी पाया गया कि इकाई के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यो (संलग्न सूची के अनुसार) पर कुल व्यय रू0 209.68 लाख किया गया था, जिस पर एक प्रतिशत की दर से रू0 2.09 लाख लेबर सेस की कटौती की जानी थी, लेकिन नहीं की गयी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि लेबर सेस की कटौती कर ली जायेगी।

खण्ड द्वारा लेखा-परीक्षा आपत्ति स्वीकार की गयी है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों / आवासो से जल मूल्य, सीवर चार्ज की रु 42.25 लाख एवं विलंब शुल्क 12.98 लाख की लंबित वसूली।

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 – (03 अधि0) /11- दिनांक 28-02-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक को भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है , यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता जल संस्थान (उत्तर) देहारादून 03/20 के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / भवनो से जलमूल्य सीवर चार्ज रु 42.25[1] लाख की वसूली लंबित पड़ी थी जबकि उपभोक्ताओं को देयक प्रस्तुत किए गए 6 माह से ज्यादा का समय हो चुका था।

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विछेदन की जानी चाहिए या तो संबन्धित विभागो / आवासो से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी | परंतु कार्यालय द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप रु 42.25 लाख के जलमूल्य व सीवर चार्ज की तथा रु 12.98[2] लाख की वसूली लंबित थी ।

उक्त के संबंध मे अवगत करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि वसूली के लिए पत्राचार किए जा रहे है जल्दी ही वसूली कर ली जाएगी, जल संयोजन विछेदन की कार्यवाही न करने हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 31.03.2020 के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि 31.05.2020 तक जल संयोजन विछेदन न किया जाय ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बकाया की धनराशि 6 माह से भी ज्यादा से वसूली हेतु लंबित है एवं 31.05.2020 के बाद जल संयोजन विछेदन की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

[1] रु 1403543 + रु 938541 + रु 1883091 = रु 4225175/-

[2] रु 512016 + रु 178777 + रु 606817 = रु 1297610/-

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -3 निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व की प्राप्ति होना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता (उत्तर) जल संस्थान देहरादून के जल मूल्य सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विगत 04 वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त जल मूल्य निम्नवत था:

वित्तीय वर्ष	**निर्धारित लक्ष्य (₹ लाख में)**	**प्राप्ति (₹ लाख में)**	**कम प्राप्ति (₹ लाख में)**
2016-17	1340.26	1187.56	152.70
2017-18	1610.68	1443.38	167.30
2018-19	1806.98	1582.36	224.62
2019-20	1985.92	1592.45	393.47

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम जल मूल्य की प्राप्ति हुई ।

निर्धारित जल मूल्य प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कमी के कारणो को ध्यान मे नहीं रखा गया , जिससे वर्ष 2016-17 से 2019-20 मे जल मूल्य प्राप्ति की कमी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई ।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि प्रयास किया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व वसूली पूर्ण कर ली जाएगी ।

विभाग के उत्तर से आपत्ति की स्वत: ही पुष्टि होती है।

खण्ड द्वारा लेखा-परीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया कि राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1 इकाई द्वारा नलकूपों में स्थित मोटर पम्प मे स्टेबलाइजर का अधिष्ठापन ना किये जाने से परिहार्य व्यय रु 140.24 लाख |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान उत्तर देहारादून के नलकूप मरम्मत संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि कार्यालय के अधीन कुल नलकूप की संख्या 68 है एवं नलकूपों में अधिस्थापित मोटर पंप तथा उसमे अधिस्थापित स्टेबलाइजर की संख्या निम्नवत है :-

क्षेत्र	कुल मोटर पंप की संख्या	स्टेबलाइजर		
		उपलब्ध है	बन्द है	उपलब्ध नही है
नगरीय	67	10	00	57
ग्रामीण	01	-	00	01

उपरोक्त आंकड़ो से यह देखा गया कि 2019-20 मे मात्र 10 नलकूपों में स्टेबलाइजर अधिस्थापित है एवम 58 में स्टेबलाइजर अधिस्थापित नही किए गये है तथा वोल्टेज स्टेबलाइजर स्थापित न होने के कारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक मोटर मरम्मत हेतु नलकूपों जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है, पर अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ा |

विवरण निम्नवत है -

(i)

क्र. स.	वर्ष	नलकूपों की संख्या जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है	मरम्मत पर किया गया खर्च (रु)
1	2016-17	60	4839882
2	2017-18	58	3104271
3	2018-19	58	7083991
4	2019-20	58	10680249
योग		234	25708393 /-

नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है, मे प्रति नलकूप मरम्मत पर खर्च

= 25708393/234 = रु 109865

(ii)

क्र. स.	वर्ष	नलकूपों की संख्या जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित है	मरम्मत पर किया गया खर्च (रु)
1	2016-17	08	327869
2	2017-18	10	232506
3	2018-19	10	533199
4	2019-20	10	803887
योग		38	1897461 /-

नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित है, में प्रति नलकूप मरम्मत पर खर्च = 1897461/38 = रु 49933

इस प्रकार प्रति नलकूप अतिरिक्त मरम्मत खर्च =109865-49933= रु 59932 /-

अतः नलकूप जिसमे स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं है की मरम्मत पर कुल अतिरिक्त खर्च = 234*59932= रु 14024088 /-

यदि सभी नलकूपों में वोल्टेज स्टेबलाइजर अधिस्थापित किया जाता तब नलकूप का मोटर हाई वोल्टेज के कारण से ख़राब होने का सम्भावना में कमी आ सकती थी एवं भविष्य मे भी अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है , पेयजल योजना के अंतर्गत जिस मोटर पंप में स्टेबलाइजर अधिस्थापित है उसकी मरम्मत किये जाने की संख्या उसी योजना के दूसरे स्टेबलाइजर विहीन मोटर पंप से कम है , स्टेबलाइजर अधिस्थापित मोटर पंप की आयु तथा कार्य कुशलता स्टेबलाइजर विहीन मोटर पंप से अधिक होता है एवं मरम्मत किये जाने की संभावना कम होती है, बावजूद इसके मोटर पम्प में स्टेबलाइजर अधिस्थापित नहीं कराये गए |

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे तथ्यों एवं आंकड़ों कि पुष्टि करते हुए कहा कि मे स्थापित PLC , MPR डी-2 , ATS तथा जटिल सर्किट एमई उत्पन्न दोषों के कारण भी मरम्मत व्यय बढ़ता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी दोषों का कारण STABLIZER के न होने से ही प्रतीत होता है क्योंकि जिन नलकूपों में STABLIZER नहीं है उन्ही के मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च हुआ है यदि अवशेष मोटर पंप में स्टेबलाइजर अधिस्थापित किया जाता तो मोटर पंप मरम्मत में विगत चार वर्षो में ₹ 140.24 लाख धनराशि का अंतिरिक्त व्यय नहीं होता |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

STAN

प्रस्तर :2 – कर्मचारियों के NPS खातों में रु 0.93 लाख कि कम धनराशि का अंशदान दिया जाना।

उत्तराखंड शासन वित्त(सामान्य नियम वेतन आयोग)अनुभाग-7 के पत्रांक 21/XXVII(7)अं0पे0यो0 दिनांक 25 अक्तूबर 2005 के द्वारा उत्तराखंड राज्य 01 अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियोंके लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी। जिसके अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता का 10% NPS के रूप में कटौती की जानी अनिवार्य थी। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता का 10% कटौती का प्रावधान है तथा समान मात्रा में अर्थात 10% अंशदान employer द्वारा किया जाना प्रावधानित था। परंतु अप्रैल 2019 से कर्मचारी 10% अंशदान के सापेक्ष employer का अंशदान 14% किया जाने के आदेश भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि कार्यालय में एन पी एस के अंतर्गत कुल 21 कर्मचारी कार्यरत है, जिनके वेतन से एन पी एस के रूप में मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता 10% की कटौती की जा रही थी तथा employer अर्थात संस्थान द्वारा माह अप्रैल,मई एवं जून में उक्त कर्मचारी/अधिकारी के एन पी एस खाते में 10% का ही योगदान किया गया था। इस प्रकार एन पी एस में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी वेतन में प्रति माह मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता 4% कम योगदान किया गया था। इस प्रकार संस्थान द्वारा कम योगदान किए जाने से एन पी एस से आच्छादित कर्मचारियों को रु 92721 की कम धनराशि अंशदान प्राप्त हुआ, जिसका विवरण निम्नवत है:-

माह	कर्मचारी/अधिकारी का अंशदान (10%)	संस्थान का अंशदान(10%)	संस्थान द्वारा किया गया कम अंशदान (4%)
अप्रैल 2019	77268	77268	30907
मई 2019	77268	77268	30907
जून 2019	77268	77268	30907
योग	231804	231804	92721

उक्त प्रकरण कि ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मुख्यालय से आदेश जुलाई 2019 में प्राप्त हुआ था उसी के अनुसार कार्यवाही की गई थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एन पी एस भारत सरकार द्वारा चालू की गई योजना है जिसे उत्तराखंड सरकार ने भी अपने राज्य के कार्मिकों हेतु लागू किया है अतः योजना को सफल बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारों को उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा लागू करना चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग-दो अ प्रस्तर सं0	भाग-दो ब प्रस्तर सं0	STAN प्रस्तर सं0
148	2016-17	01	01,02,03,04	-
15	2010-11	01, 02	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जलसंस्थान, उत्तर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(I) **वर्ष 2019-20 की बैलेन्स शीट**

2- सतत अनियमितताएं:- **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री बी. बी. कोठियाल	अधिशासी अभियन्ता	04/2016 से 11/2016
2	श्री एस. सी. जुयाल	प्र॰ अधिशासी अभियन्ता	12/2016 से 07/2017
3	श्री यशवीर मल्ल	अधिशासी अभियन्ता	08/2017 से 31-03-2020

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जलसंस्थान, उत्तर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/AMG-II (Non-PSU) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)